न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0ः–113/2016

CIS NO. TS 215/2019

हाशीम गदी एवं अन्य...वादीगण

बनाम

मृतक सहदेव महतो के विधिक वारिसान एवं अन्य...प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
03.12.2024	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 13.09.2024 आदेश हेतु नियत है। **आदेश (ORDER)** वादीगण की ओर से अपने आवेदन दिनांक 19.09.2024 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में वादीगण के द्वारा खाता–28 बनाम मु0 जोखनी, जौजे मोती का हालसर्वे खतियान का पक्का नकल एवं बुझारत पंजी की छायाप्रति दाखिल किया जाता है। इनदोनों कागजातों का पता वादीगण को पूर्व से नहीं था जिसके कारण इन्हें दाखिल नहीं किया जा सका था। बुझारत पंजी का पक्का नकल लेने के लिए अचंल में वादीगण के द्वारा आवेदन दिया जा चुका है। हालसर्वे खतियान खाता–28 का पक्का नकल लोक दस्तावेज है तथा इसे प्रदर्श अंकित करने के लिए औपचारिक साक्षी की जरूरत नहीं है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उपरोक्त दोनों कागजातों को साक्ष्य में ग्रहण करते हुए अभिलेख पर रखने की कृपा की जाय। प्रतिवादीगण की ओर से वादीगण के आवेदन का मौखिक विरोध किया गया तथा आवेदन खारिज योग्य बताया गया। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि अभिलेख सुनवाई हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। वादीगण द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में वादीगण द्वारा दाखिल आवेदन दिनांक 13.09.2024 को मो0–500/– रूपये हर्जे पर स्वीकार करते हुए दाखिल कागजातों को प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया	

<u>न्यायालय–नसीम नजर, अवर न्यायाधीश, नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0ः–113/2016</u>

CIS NO. TS 215/2019

हाशीम गदी एवं अन्य...वादीगण

बनाम

मृतक सहदेव महतो के विधिक वारिसान एवं अन्य..प्रतिवादीगण

लगातार **03.12.2024**	जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 16.01.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश नरकटियागंज	